Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release 09-10-2025

अंता विधानसभा उपचुनाव

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो के उपयोग पर आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश - मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जयपुर, 9 मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए। श्री महाजन ने बताया कि बिहार विधान सभा के आम चुनाव एवं 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों जिसमें अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 भी शामिल है, की घोषणा के साथ ही 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए।

श्री महाजन ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के

निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित" या "डिजिटल रूप से संवर्धित" के रूप में चिह्नित किया जाए। उन्होने बताया कि ये प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर भी लागू होंगे।

आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release 09-10-2025

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 की समीक्षा
अधिकारी-कार्मिक अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करें- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
समस्त मतदान केन्द्रों पर होगी वेबकास्टिंग

जयपुर, 9 अक्टूबर। अंता विधानसभा उप चुनाव-2025 स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भय रहित माहौल में सम्पन्न करवाने के लिए गुरूवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने वीसी के जरिए समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कार्मिक अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करें। साथ ही, जागरूकता गतिविधियां बढ़ाकर अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने अंता उप चुनाव - 2025 के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) एवं अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस बैठक में इस सम्बन्ध में निर्देश दिए। उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें और तदनुसार अपने टीम के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण देकर निर्वाचन को निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रिया के रूप में संपन्न करवाएं।

100 प्रतिशत वेबकास्टिंग

श्री महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर या सेक्टर

ऑफिसर की तैनाती कर सकते हैं। ये सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और अधिकारों की पूरी जानकारी रखें। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित कराने एवं एक ही लोकेशन पर 3 या 3 से अधिक मतदान केन्द्रों वाले स्थानों पर एक अतिरिक्त कैमरा बाहर की तरफ भी लगाया जाए। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक कर सूचनाएं साझा करें।

भय रहित और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री अनिल कुमार टांक, (पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था) ने जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से अंता उप चुनाव क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष निगरानी के लिए निर्देशित किया। राज्य पुलिस व्यय अनुवीक्षण नोडल अधिकारी डॉ. रवि (पुलिस महानिरीक्षक, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण) ने बताया कि बारां जिले की सीमा पड़ोसी राज्यों से लगी हैं, जहां विशेष निगरानी की आवश्यकता है। जिला पुलिस अधीक्षक,बारां ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंधन किया जा रहा है तथा आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने भी कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षित, भय रहित और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

होम वोटिंग के विकल्प का प्रचार-प्रसार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 85 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए होम वोटिंग के विकल्प का जमीनी स्तर पर प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया, ताकि इन श्रेणियों के इच्छुक व जरूरतमंद मतदाता अधिक सुविधाजनक ढ़ंग से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1013 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 1170 मतदाता मानक दिव्यांगता वाले एवं 39 सेवा मतदाता हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

उन्होंने बताया कि उप चुनाव के लिए 18 अक्टूबर तक बीएलओ द्वारा पात्र मतदाताओं से विकल्प-पत्र के रूप में फॉर्म 12डी प्राप्त किया जा सकता है। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक समावेशी हो सकेगी तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य हासिल किया जा सकेगा।

श्री महाजन ने कहा कि उप चुनाव क्षेत्र में जिला स्तर पर स्थापित एवं संचालित कंट्रोल रूम में फोन नंबर 1950 पर डायल कर शिकायत दर्ज करने और उनके निस्तारण की व्यवस्था पर औचक निरीक्षण करें। सी विजिल एप, नो योर कैंडिडेट एप एवं बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करावें जिससे निष्पक्ष रहकर जागरूकता के साथ मताधिकार का उपयोग किया जा सके।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उप चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कम मतदान वाले मतदान केन्द्रों में अलग-अलग कारणों को चिन्हित करने और फिर उसके अनुरूप मतदाताओं को अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। बेहतर मतदान प्रतिशत के लिए सभी स्तर पर अधिकारियों को समाज-समुदाय के बीच पहुंचकर आम लोगों के साथ समन्वय करना होगा। उन्होंने मतदाता पहचान-पत्र नहीं होने की स्थिति में 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की मदद से मतदान किए जा सकने के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यकता जताई। अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केन्द्रों में से 8 महिला संचालित, 8 युवा संचालित, 1 दिव्यांगजन संचालित एवं ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बूथ बनाए जाएं, जिनमें सिंगल use प्लास्टिक का उपयोग ना हो एवं कुल्हड़ आदि का प्रयोग किया जाए, जिससे मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वीडियो कांफ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने उप चुनाव की तैयारियों, विभिन्न भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिकारियों-कार्मिकों के नियोजन और प्रशिक्षण की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक अंदासु ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिए। इसके पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी श्री हवाई सिंह ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया से संबंधित

विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाई जा रही है और सार्वजनिक-निजी संपत्ति पर प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने संबंधी निर्देशों के लिए 24, 48 और 72 घंटे की समय-सीमा के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों की जांच और प्रथम रैंडमाइजेशन आज ही किया जा चुका है।

निर्वाचन विभाग के विशेषाधिकारी श्री सुरेश चंद्र द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसमें विधानसभा एवं लोकसभा आम चुनाव के समय बारां जिले एवं अंता विधानसभा क्षेत्र में की गयी जब्ती, मतदात सूचना पर्ची के 100 प्रतिशत वितरण की योजना एवं बूथ के 100 मीटर परिधि से संबंधित नवीनतम दिशा निर्देशों को शामिल किया गया। बैठक में निर्वाचन विभाग के अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।